

प्रपत्र II

कार्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना, पटना

पत्रांक 2178

दिनांक 12/8/17

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

मानव भारती इंडिया इंटरनशनल स्कूल, AIIMS NH 98 नवादा मोड गोसाई मठ, मुबारकपुर पटना।

विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन-पत्र और उसके क्रम में में आपके द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख के आलोक में आपके विद्यालय मानव भारती इंडिया इंटरनशनल स्कूल, AIIMS NH 98 नवादा मोड गोसाई मठ, मुबारकपुर पटना को कक्षा 01 से 08 कक्षा तक संचालन हेतु तीन वर्षों 04.08.2017 से 03.08.2020 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न-शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा VIII तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2010 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेंगे तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेंगे, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में मानव भारती इंडिया इंटरनशनल स्कूल को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उग्र प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:
 - i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोकने अथवा उत्तीर्ण करने के संबंध में समय समय पर बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली में किये जाने वाले संशोधन एवं तदनुसरुप दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायगा।
 - ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - iii. किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - iv. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - v. अधिनियम के प्रावधानों के आलाके में विकलांग /विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में, उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 31 मार्च 2019 के पूर्व के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

- vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- viii. शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् :-
विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल - 5961.078 वर्गफीट।
कुल निर्मित क्षेत्र - 3500 वर्गफीट।
खेल के मैदान का क्षेत्र - उपलब्ध नहीं।
वर्गकक्षाओं की कुल संख्या- 10.
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-मंडार कक्ष- 2
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय- बालक-9 बालिका-9
पेयजल की सुविधा- उपलब्ध
मध्याह्न भोजन के लिए रसोईघर- व्योरा उपलब्ध नहीं।
बाधारहित पहुँच - उपलब्ध
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय - उपलब्ध
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्षा विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ्या अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाम के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलाके में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या PAT/RTE/PVT/369 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. आपके विद्यालय का औपबंधिक निबंधन करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि अगर भविष्य में यह पाया जाता है कि विद्यालय द्वारा कोई गलत सूचना/अभिलेख दिया गया है, तो विद्यालयों का निबंधन रद्द करते हुए उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

Handwritten signature
12/5/17

विश्वासभाजन

Handwritten signature

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा.शि. एवं सर्व शिक्षा अभियान
पटना



बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
Bihar Shiksha Pariyojana Parishad
(जिला स्तरीय कार्यालय, पटना)



हिन्दी ग्रंथ अकादमी परिषद, प्रेमचन्द पथ, राजेन्द्र नगर, पटना-800016

पत्रांक : ४४.....
सेवा में.

दिनांक - 08/01/2019

प्राचार्य
मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल,
AIIMS, NH-98, नवादा मोड़, गोसाई मठ, मुबारकपुर, पटना।

विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के तहत आपके विद्यालय मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल को निर्गत प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र में आंशिक संशोधन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के तहत आपके विद्यालय मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक-2927 दिनांक-14.10.17 द्वारा प्रस्वीकृति प्रमाण निर्गत की गई थी। उक्त प्रमाण पत्र में आपके विद्यालय के नाम मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल अंकित है। आपके पत्रांक- MBIS/PAT/ADM/18-19/001 दिनांक-08.01.19 द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में आपके विद्यालय के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत् परिवर्तित किया जाता है।

मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल,
AIIMS, NH-98, नवादा मोड़, गोसाई मठ,
मुबारकपुर, पटना।

विश्वासभाजन,

(ललित नारायण रजक)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान,

Secretary
Manava Bharati International School
NEAR AIIMS (PATNA) NAWADA MORE,
GOSAI MATH, P.O.-MUBARAKPUR
PATNA (BIHAR) PIN-801505